हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 70

सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2394 से 2399 तथा 2401 से 2405 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2400 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 2406 से 2442 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 847 से 858 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

श्री नन्द लाल, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देकर गत दिवस दलित समुदाय के साथ जिला मण्डी में कुल देवता के कार्यक्रम के दौरान हुए भेदभाव व अत्याचार का मामला उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न केवल प्रक्रिया नियमों की अवहेलना को लेकर उठाया जा सकता है। इसलिए माननीय सदस्य यदि कोई विषय उठाना चाहते हैं तो उसकी सूचना (Notice) दें। फिर भी माननीय अध्यक्ष ने सदस्य को संक्षेप में विषय रखने की अनुमति दी।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया प्रकट करने का अवसर न दिए जाने पर 3.15 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि दलित उत्पीड़न से संबंधित विषय दो दिवस पूर्व भी इस माननीय सदन में बिना किसी सूचना के लाया गया था, तब भी विषय को उठाने की अनुमति दी गई थी और माननीय जल शक्ति मंत्री ने उसका विस्तार से उत्तर भी दिया था। आज पुनः विषय उठाया गया। माननीय मुख्य मंत्री ने इस का उत्तर भी दिया; इसलिए इसके उपरान्त विपक्ष द्वारा बहिर्गमन करने की आवश्यकता नहीं थी।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) ने भी विपक्ष की सारी बात सुने जाने व मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के उपरान्त भी विपक्ष द्वारा बहिर्गमन करने की कड़ी निंदा की।

मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल द्वारा किए गए बहिर्गमन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष विषयों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में दलितों के प्रति ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके प्रति सरकार गंभीर है। विपक्ष को ऐसी घटनाओं में सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष द्वारा बहिर्गमन की कड़ी शब्दों में निंदा की।

(03.25 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य पुनः सदन में वापिस आए।)

विपक्ष ने मुख्य मंत्री की टिप्पणी से असहमति जताते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू की।

सत्तापक्ष के सदस्य भी प्रतिक्रिया स्वरूप नारेबाजी करने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए पूरा अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा रहा है, जैसा कि उनका आरोप है।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया -

1. **कर्नल इन्द्र सिंह**

   (3.55 बजे अपराह्न श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति पदासीन हुए।)

2. **श्री हर्षवर्धन चौहान**
3. **श्री अरुण कुमार**
4. **श्री नन्द लाल**
5. **श्री परमजीत सिंह**
6. **श्री आशीष बुटेल**

   (5.21 बजे सायं माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री आशीष बुटेल द्वारा अपनी चर्चा में कांगड़ा जिला से भेदभाव की बात किए जाने पर **मुख्य मंत्री** ने स्पष्ट किया कि कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इस जिले का महत्व किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जाएगा तथा कांगड़ा का जो भी अधिकार बनता है, सरकार उसे बढ़ाएगी ही, कम नहीं करेगी।

7. **श्री बलबीर सिंह वर्मा**
8. **श्री प्रकाश राणा**
9. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल**

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री ने श्री इन्द्र दत्त लखनपाल द्वारा अपनी चर्चा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम लिए जाने का विरोध किया।

श्री जगत सिंह नेगी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि किसी भी सदस्य को सदन में किसी भी विषय पर बोलने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सदस्यों का संवैधानिक अधिकार है।

श्री राकेश पठानिया ने कहा कि कई सदस्य सी.ए.ए. जैसे विषयों की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा अगर इन विषयों पर सदन में अलग से चर्चा करा ली जाए ताकि सभी अपनी बात रख सकें।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कोई भी सदस्य अपनी चर्चा में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जिनसे सदन में अशांति का वातावरण बने।

(**सदन की बैठक का समय 7.15 बजे सायंकाल तक बढ़ाया गया।**)

10. **श्री इन्द्र दत्त (बल्ह)**

07.12 बजे अपराह्न सदन की बैठक मंगलवार, 03 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।